

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

8 अगस्त 2023

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संसद के पटल पर प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2023 की प्रतिवेदन सं.10 - संघ सरकार (सिविल) में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसमें 2017-18 से 2020-21 की अवधि शामिल है, के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पिछले 27 वर्षों से, जब इसे अगस्त, 15, 1995 में प्रारम्भ किया गया था, वृद्ध, विकलांग, विधवा तथा प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु के मामले में बीपीएल परिवारों को सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

एनएसएपी का उद्देश्य भविष्य में राज्यों द्वारा वर्तमान में प्रदान किए जा रहे या प्रदान किए जा सकने वाले लाभों के अलावा सामाजिक सहायता के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना है।

वर्तमान में, एनएसएपी में पांच उप-योजनाएं शामिल हैं जिसमें से तीन पेंशन योजनाएं हैं:

- (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस),
- (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), तथा
- (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)।

अन्य दो उप-योजनाएं पेंशन योजनाएं नहीं हैं अर्थात्

- (iv) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस) - कमाने वाले की मृत्यु की स्थिति में शोकाकुल परिवार को एक बार की सहायता तथा

- (v) अन्नापूर्णा योजना - पात्र वृद्ध व्यक्तियों, जो आईजीएनओएपीएस के अधीन शामिल हुए बिना रहे, को खाद्य सुरक्षा।

यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उजागर करता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल अभ्युक्तियों का सारांश नीचे दिया गया है:

- ❖ 2017-21 के दौरान एनएसएपी का कुल केन्द्रीय व्यय ₹34,432 करोड़ था जबकि उसी अवधि के दौरान एनएसएपी की केन्द्रीय प्रायोजित योजना पर राज्यों/यूटी का व्यय ₹1,09,573 करोड़ था।
- ❖ एनएसएपी पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं थी या फिर कुछ राज्यों/यूटी में आंशिक रूप से कार्यान्वित की जा रही थी। विशेषकर, एनएफबीएस को कई राज्यों/यूटी में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था। एनएसएपी पूरे देश में सभी शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाना था परंतु इसे कुछ राज्यों/यूटी में या तो कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था या फिर आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया था जो उन राज्यों में पात्र लाभार्थियों को एनएसएपी लाभों से वंचित करने का कारण बना।
- ❖ सक्रिय पहचान के अभाव तथा पात्र लाभार्थियों के डाटाबेस के गैर-अनुरक्षण, जैसा प्रत्याशित है, से योजना को मांग-संचालित प्रक्रिया में कार्यान्वित किया जा रहा था जहां लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने स्वयं एनएसएपी के अधीन पेंशन/लाभ हेतु आवेदन किया था। पात्र लाभार्थी जो लाभों से अनजान थे/आवेदन करने हेतु संसाधनों की कमी थी वे एनएसएपी की सीमा से बाहर रह गए थे। आगे, कुछ राज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा के समान लाभार्थियों को भी शामिल नहीं कर सके थे।
- ❖ विशेष सत्यापन दलों के गैर-गठन तथा वार्षिक सत्यापन गैर-संचालन ने अपात्र लाभार्थियों को हटाने हेतु जमीनी स्तर पर अप्रभावी जांचों को दर्शाया। लाभार्थियों की सक्रिय पहचान हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अभाव के साथ आईईसी गतिविधियों की कमी का परिणाम एनएसएपी की सीमा से पात्र लाभार्थियों का विलंबित/गैर-कवरेज तथा लाभार्थियों के सार्वभौमिक कवरेज की गैर-उपलब्धि में हुआ।
- ❖ राज्यों द्वारा दूसरी किस्त हेतु प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब ने मंत्रालय द्वारा निधियों के निर्गम को प्रभावित किया जिसने बदले में पेंशन के संवितरण की आवृत्ति को प्रभावित किया। आगे, राज्यों/यूटी द्वारा कार्यान्वयन विभागों को निधियों के निर्गम में विलम्ब था जबकि कार्यान्वयन विभागों को तीन दिनों के भीतर निधियां जारी की जानी थी।

- ❖ एनएसएपी के अधीन आईईसी गतिविधियों हेतु चिन्हित ₹2.83 करोड़ की निधियों का अन्य योजनाओं के प्रचार हेतु विपथन किया गया था। आगे, ₹57.45 करोड़ की कुल निधियों का अन्य योजनाओं/उद्देश्यों हेतु छः राज्यों/यूटी में विपथन किया गया था।
- ❖ कुल ₹18.78 करोड़ की निधियां आठ राज्यों/यूटी के पास एक से पांच वर्षों तक के बीच की अवधि के लिए व्यर्थ पड़ी थी। राज्य/जिला स्तर पर निधियों का व्यर्थ होना राज्यों/यूटी की ओर से वित्तीय निगरानी की कमी को दर्शाता है, जिसने लाभार्थियों को पेंशन के अनियमित भुगतान को दर्शाया।
- ❖ कुल ₹5.98 करोड़ की निधियों का 10 राज्यों/यूटी में अस्वीकार्य मदों पर व्यय किया गया था जिसने वित्तीय अनुशासन की कमी तथा एनएसएपी दिशानिर्देशों के उल्लंघन को दर्शाया।
- ❖ संभावित लाभार्थियों की पहचान तथा पात्र लाभार्थियों को पेंशन की संस्वीकृति में विलम्ब थे। पेंशन की प्रभावी तिथि से पेंशन के गैर-संवितरण का परिणाम 11 राज्यों/यूटी में 92,602 लाभार्थियों को ₹61.71 करोड़ के कम भुगतान में हुआ।
- ❖ केवल 11 राज्यों/यूटी ने ही मासिक पेंशन का संवितरण किया जैसा एनएसएपी दिशानिर्देशों में अभिकल्पना की गई है। चार राज्य त्रैमासिक पेंशन भुगतान कर रहे थे जबकि दो राज्य वार्षिक पेंशन भुगतान कर रहे थे। 17 राज्यों/यूटी ने आवधिक पेंशन भुगतान को सुनिश्चित नहीं किया था तथा तदर्थ आधार पर पेंशन अदा की। 14 राज्यों में, ₹30.47 करोड़ की आईजीएनओएपीएस पेंशन 57,394 अपात्र व्यक्तियों, जो 60 वर्षों की आयु से कम के थे, को अदा की गई थी।
- ❖ 17 राज्यों/यूटी में ₹26.45 करोड़ की आईजीएनडब्ल्यूपीएस पेंशन 38,540 अपात्र व्यक्तियों, जो 40 वर्षों की आयु से कम के थे, को अदा की गई थी। आगे, छः राज्यों/यूटी में ₹0.57 करोड़ की आईजीएनडब्ल्यूपीएस पेंशन विधवाओं के अलावा, परिवार के पुरुष सदस्य सहित, 413 व्यक्तियों को अदा की गई थी।
- ❖ 12 राज्यों/यूटी में, ₹4.36 करोड़ की आईजीएनडीपीएस पेंशन 5,380 अपात्र व्यक्तियों, जो 18 वर्षों से कम की आयु के थे, को अदा की गई थी। 16 राज्यों/यूटी में ₹15.11 करोड़ की आईजीएनडीपीएस पेंशन 21,322 व्यक्तियों को अदा की गई थी जिनकी विकलांगता या तो 80 प्रतिशत से कम थी या फिर पता नहीं लगाई जा सकती थी।
- ❖ 80 वर्षों की आयु से ऊपर के लाभार्थियों हेतु बढ़ी हुई दर पर पेंशन के भुगतान के संबंध में नियंत्रण तंत्र की कमी के कारण सात राज्यों/यूटी में 2,151 व्यक्तियों को ₹0.63 करोड़

की पेंशन के अधिक भुगतान तथा 15 राज्यों/यूटी में 2,43,286 व्यक्तियों को ₹42.85 करोड़ की पेंशन के कम भुगतान के मामले पाए गए थे।

- ❖ 14 राज्यों/यूटी में एक व्यक्तिगत लाभार्थी को एक से अधिक पेंशन के भुगतान के कारण 2,243 व्यक्तियों को ₹3.55 करोड़ की पेंशन का अधिक भुगतान किया गया। 26 राज्यों/यूटी में ₹दो करोड़ की पेंशन का भुगतान 2,103 लाभार्थियों के मामले में कथित एनएसएपी व्यक्तियों की मृत्यु के बाद भी किया गया था।
- ❖ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता सलाहकार समिति (एनएसएएसी) ने 2017-21 के दौरान केवल तीन बैठक की थी। 30 राज्यों/यूटी में राज्य स्तरीय समिति के गैर-अस्तित्व के कारण राज्य/यूटी स्तर पर निगरानी एवं मूल्यांकन नहीं किया गया था जैसी अभिकल्पना की गई थी। आगे, 18 राज्यों/यूटी द्वारा राज्य नोडल विभागों द्वारा एनएसएपी के कार्यान्वयन की कोई आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।
- ❖ 25 राज्यों/यूटी में सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, जहां सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित की गई थी वहां इसके निष्कर्षों पर कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। 17 राज्यों/यूटी में एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थागत शिकायत निवारण तंत्र अस्तित्व में/क्रियात्मक नहीं था।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम - भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2023 की प्रतिवेदन सं.10 - संघ सरकार (सिविल) - निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर प्रेस विज्ञप्ति

संक्षिप्त विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसमें 2017-18 से 2020-21 की अवधि शामिल है, के परिणाम शामिल हैं।

एनएसएपी का लक्ष्य बीपीएल सूची से वृद्ध, विधवा तथा गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ-साथ प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु के मामले में बीपीएल परिवारों को मूल वित्तीय सहायता प्रदान करना है। एनएसएपी को दोनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सभी राज्यों व यूटी में कार्यान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय होने से सभी राज्यों/यूटी को वार्षिक आबंटन आधार पर उप-योजना वार निधियां जारी करता है। 2017-21 के दौरान भारत सरकार ने एनएसएपी के लिए ₹34,432 करोड़ आबंटित किए। इसके अलावा, राज्यों तथा यूटी ने भी पेंशन तथा अतिरिक्त लाभार्थियों के कवरेज हेतु अतिरिक्त सहायता के रूप में ₹1,09,573 करोड़ आबंटित किए।

2017-21 के दौरान एनएसएपी औसतन 2.83 लाभार्थी प्रतिवर्ष तक पहुंचा। इसके अतिरिक्त, कथित अवधि के दौरान राज्यों/यूटी द्वारा औसतन 1.82 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया गया था।

पर्याप्त वित्तीय परिव्ययों तथा इसके अभिप्रेत परिणामों को प्राप्त करने की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एनएसएपी के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने तथा सुधारात्मक कार्य की सिफारिश करने हेतु एनएसएपी की अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी। मौजूदा लाभार्थियों के गैर-सत्यापन के कारण के साथ-साथ डाटा छंटनी, सत्यापन एवं प्रमाणीकरण की कमी के कारण कई राज्यों/यूटी में लाभ प्राप्त कर रहे अपात्र लाभार्थी के मामले पाए गए थे। आगे, कई राज्यों/यूटी में पेंशन मासिक आधार पर अदा नहीं की जा रही थी। योजना पूर्ण रूप से डीबीटी अनुरूप नहीं थी क्योंकि कुछ राज्यों में पेंशन नकद में अदा की जा रही है। कई राज्यों/यूटी में अधिक भुगतान, कम भुगतान तथा कई पेंशन भुगतान के मामले पाए गए थे। निगरानी, सामाजिक-लेखापरीक्षा तथा शिकायत निवारण तंत्र योजना के कार्यान्वयन के दौरान पाई गई कमियों के संदर्भ में प्रभावी नहीं था।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम - भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2023 की प्रतिवेदन सं.10 - संघ सरकार (सिविल) - निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर प्रेस विज्ञप्ति

मुख्य शब्द

शब्द	संक्षेपाक्षर
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	एएनआई
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस	एपीआई
बजट अनुमान	बीई
गरीबी रेखा के नीचे	बीपीएल
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	सीपीआई
करोड़	सीआर.
केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय	सीएसओ
केन्द्रीय प्रयोजित योजना	सीएसएस
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	डीएवीपी
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	डीबीटी
दीन दयाल उपध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना	डीडीयू-जीकेवाई
जिला स्तरीय समिति	डीएलसी
जन्म तिथि	डीओबी
जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	डीएसएसओ
जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी	डीएसडब्ल्यूओ
जिला कल्याण अधिकारी	डीडब्ल्यूओ
व्यय वित्त समिति	ईएफसी
मतदाता फोटो पहचान पत्र	ईपीआईसी
सरकारी आदेश	जी.ओ.
भारत सरकार	जीओआई
गांव पंचायत विकास योजना	जीपीडीपी
ग्राम पंचायत	जीपी
इंदिरा आवास योजना	आईएवाई
सूचना शिक्षा एवं संचार	आईईसी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना	आईजीएनडीपीएस
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	आईजीएनओएपीएस
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	आईजीएनडब्ल्यूपीएस
जम्मू और कश्मीर	जे एण्ड के
जनपद पंचायत	जेपी
भारतीय जीवन बीमा निगम	एलआईसी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	मनरेगा
प्रबंधन सूचना प्रणाली	एमआईएस
ग्रामीण विकास मंत्रालय	एमओआरडी
मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट	एमपीआर/क्यूपीआर
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	एमवीपीवाई
पूर्वोत्तर	एनई
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	एनएफबीएस
गैर-सरकारी संगठन	एनजीओ
राष्ट्र स्तरीय अनुवीक्षक	एनएलएम
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ-योजना	एनएमबीएस
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम	एनपीसीआई
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	एनआरएलएम
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता सलाहकार परिषद	एनएसएएसी
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता सलाहकार समिति	एनएसएएसी
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	एनएसएपी
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	एनयूएलएम
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली	पीएफएमएस
प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण	पीएमएवाई-जी
पेंशन भुगतान प्रणाली	पीपीएस
पंजायती राज संस्थान	पीआरआई
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	आरएसबीवाई
सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना	एसईसीसी

स्वयं सहायता समूह	एसएचजी
राज्य स्तरीय समिति	एसएलसी
एकल नोडलखाता	एसएनए
राज्य नोडल विभाग	एसएनडी
उपयोगिता प्रमाण-पत्र	यूसी
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	यूआईडीएआई
संघ शासित क्षेत्र	यूटी
ग्राम परिषद	वीसी

SS/TT/59-23